



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II - खण्ड ३- उप-खण्ड (ii)

PART II - Section 3 - Sub - section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1336]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 22, 2005/ पौष 1, 1927

No. 1336]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 22, 2005/PAUSA 1, 1927

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2005

का.आ. 1803(अ). -तटीय जलकृषि अधिनियम, 2005(2005 कां 24) की धारा 4 की उप-धारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार सरकारी राजपत्र में यह अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ तटीय जलकृषि प्राधिकरण नामक एक प्राधिकरण गठित करती है और उक्त प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त करती है, नामतः :-

(क) न्यायमूर्ति ए.के. राजन, — अध्यक्ष
(मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश),
नं. 5 (एस 79), गली नं. 16, अन्नानगर,
चेन्नई- 600040

धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (ख) के अंतर्गत नियुक्त सदस्य :

(ख) डॉ. पी. रवीचंद्रन, — सदस्य
निदेशक,
केंद्रीय खाराजल जलकृषि संस्थान, चेन्नई,
तटीय जलकृषि के क्षेत्र में विशेषज्ञ

धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (ग) के अंतर्गत नियुक्त सदस्य :

(ग) डॉ. के.वी. शर्मा, — सदस्य
वैज्ञानिक-घ, समुद्री विकास विभाग, ब्लॉक- 11,
सीजीओ काम्पलेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली - 110003
तटीय परिस्थिति विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञ

धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (घ) के अंतर्गत नियुक्त सदस्य :

(घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली — सदस्य
के प्रतिनिधि, (पर्यावरण और वन मंत्रालय
द्वारा नामित किया जाना है)

धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (ङ) के अंतर्गत नियुक्त सदस्य :

(ङ) श्री अजय भट्टाचार्य, — सदस्य
संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी),
कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रतिनिधि,
कृषि मंत्रालय द्वारा नामित

धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (च) के अंतर्गत नियुक्त सदस्य :

(च) श्री जी. मोहन कुमार, — सदस्य
अध्यक्ष, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण,
कोच्ची- वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधि,
वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नामित

धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (छ) के अंतर्गत तटीय राज्यों के प्रतिनिधि :

(छ) (i) श्री विश्वनाथ शेगांवकर, — सदस्य
तमिलनाडु सरकार के सचिव,
पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग,
चेन्नई- 600009

(ii) श्री पी. के. सेन, — सदस्य
मात्स्यिकी निदेशक,
पश्चिम बंगाल सरकार,
63, एन.एस. रोड, जेसोप बिल्डिंग,
कोलकाता - 700001

(iii) श्री डी. राधा कृष्णा रेड्डी, — सदस्य
अध्यक्ष,
आंध्र प्रदेश राज्य झींगा किसान,
कल्याण परिसंघ, 16-111-488,
रामामूर्ति नगर, नैल्लोर -524003 (आंध्र प्रदेश)

(iv) श्री अजीत सिन्हा पाटिल, — सदस्य
(पंचम एक्वाकल्चर फार्म, जेलासर. तालुका,
पलघर, जिला थाणे),
103 बी, मित्तल टावर्स, नरीमन प्वाइंट,
मुंबई - 400021

धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (ज) के अंतर्गत नियुक्त सदस्य :

(ज) डॉ. वाई. एस. यादव , — सदस्य- सचिव
निदेशक,
बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम- अंतर्शासकीय,
संगठन (बीओबीपी- आईजीओ), 91- सेंट मेरी रोड,
अभिरामपुरम, चेन्नई - 600018
फा.सं.एल. 33036/3/2005 - मा. (टी-2)
अजय भट्टाचार्य, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Animal Husbandry,
Dairying and Fisheries)**

NOTIFICATION
New Delhi, 22nd December, 2005

S.O.1803 (E). -- In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (3) of Section 4 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby establishes an authority to be called the Coastal Aquaculture Authority for the purpose of the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette and appoints the following persons to be the Chairperson and Members of the said Authority, namely:-

(a) Justice Shri A.K. Rajan — Chairperson
(Retired Judge of the
Madras High Court),
No.5 (S-79), 16th Street,
Anna Nagar,
Chennai-600040.

Member appointed under clause (b) of Sub-section (3) of Section 4:

(b) Dr. P. Ravichandran, — Member
Director
Central Institute of Brackshwater
Aquaculture, Chennai
Expert in the field of
coastal aquaculture.

Member appointed under clause (c) of Sub-section (3) of Section 4:

(c) Dr. K.V. Sharma, — Member
Scientist - D,
Department of Ocean Development,
Block-11, CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi-110003
— Expert in the field of coastal ecology.

Member referred to in clause (d) of Sub-Section(3) of Section 4:

(d) Representative of the Ministry — Member
of Environment and Forests,
New Delhi,
(to be nominated by the Ministry
of Environment and Forests).

Member referred to in clause (e) of Sub-section (3) of Section 4:

- (e) Shri Ajay Bhattacharya, — Member
Joint Secretary (Fisheries) —
Representative of the Ministry
of Agriculture, New Delhi,
Nominated by the Ministry
of Agriculture.

Member referred to in clause (f) of Sub-section (3) of Section 4:

- (f) Shri G. Mohan Kumar, — Member
Chairman,
Marine Products Export
Development Authority,
Kochi-- Representative of the
Ministry of Commerce.
Nominated by the
Ministry of Commerce.

Representatives of Coastal States appointed under clause (g) of Sub-section (3) of Section 4:

- (g) (i) Shri Vishwanath
Shegaonkar, — Member
Secretary to Government of
Tamil Nadu, Animal Husbandry and
Fisheries Department,
Chennai-600009.

- (ii) Shri P.K. Sen, — Member
Director of Fisheries,
Government of West Bengal,
63, N.S. Road, Jessop Building,
Kolkata-700001.

- (iii) Shri D. Radha Krishna Reddy — Member
President,
Andhra Pradesh State
Prawn Farmers' Welfare Association,
16-111-488, Ramamurthy Nagar,
Nellore-524003 (Andhra Pradesh)

- (iv) Shri Ajit Sinha Patil, — Member
(Pancham Aquaculture Farms,
Jelasar, Taluka Palghar,
District-Thane) 103 B, Mittal Towers,
Nairman Point, Mumbai-400021.

Member referred to in clause (h) of Sub-section (3) of Section 4:

- (h) Dr. Y. S. Yadava, — Member-
Director, Secretary
Bay of Bengal Programme - Inter
Governmental Organisation,
(BOBP-IGO), 91-St. Mary's Road,
Abiramapuram, Chennai-600018.

[F. No. L.33036/3/2005-FY(T-2)]
AJAY BHATTACHARYA, Jt. Secy.